



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-80 / 2021
दिनांक : 13.05.2021

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करने के संबंध में सुझाए गये उपायों पर चर्चा हेतु दिनांक 12.05.2021 को अधिष्ठाताओं और विभागाध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु कोविड टास्क फोर्स का निम्नानुसार गठन किया जाता है :

1. डॉ. के. बालराजु, एसोशिएट प्रोफेसर, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सा. कार्य अध्ययन केंद्र
2. डॉ. जयंत उपाध्याय, एसोशिएट प्रोफेसर, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
3. डॉ. मुन्नालाल गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग
4. डॉ. शिवसिंह बघेल, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सा. कार्य अध्ययन केंद्र
5. डॉ. राजेश लेहकपुरे, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
6. श्री अनिकेत अंबेकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग

टास्क फोर्स की आवश्यकतानुसार माननीय कुलपति की स्वीकृति के उपरांत अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
13/05/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली